

प्रेस विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर

मारपीट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 20.10.2020 को वादी हरिश्चंद्र यादव पुत्र स्व0 श्री पलकधारी यादव ग्राम रानीपुर हाल मुकाम कुकड़ीपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ ने थाने पर आकर लिखित तहरीर दी कि आज दिनांक 20.10.2020 को समय करीब शाम 6:00 बजे मेरे लड़के अग्रेज से बृजेश पुत्र अज्ञात , कल्लू पुत्र रामभवन, सवलू पुत्र विंध्यांचल, आलोक पुत्र पारस, रवि पुत्र अज्ञात, राहुल पुत्र बेचई, बजरंगी पुत्र माधव व कुछ व्यक्ति अज्ञात निवासीगण लोहरा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ से आपस में कहासुनी हो गई तभी मैं व मेरे चाचा के लड़के जयसिंह पुत्र स्व 0 श्री शिवधारी समझाने बुझाने का प्रयास किए तो उपयुक्त लोग उग्र होकर गाली गुप्ता करने लगे तथा मना करने पर हम लोगों को लाठी डंडा से पीटने लगे, जब हम लोग जान बचाकर अपने घर में भागे तो उपरोक्त लोग हम लोगों को घर में घुसकर मारने पीटने लगे। जिससे हम लोगों को काफी चोटें आई और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए । वादी के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 221/20 धारा 147,323,504,506,452 भा.द.वि.पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 29.10.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में उ.नि. अश्वनी कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मु 0अ0सं0- 221/20 धारा 147,323,504,506,452 भा.द.वि. से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बृजेश पुत्र रामनाथ निवासी लोहरा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को ग्राम लोहरा के पास से समय 08.50 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-221/20धारा-147,323,504,506,452 भा.द.वि. थाना मुबारकपुर आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त -

बृजेश पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम लोहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ.नि. अश्वनी कुमार मिश्र थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़
2. का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़
3. का0 विश्वप्रकाश दीपक थाना मुबारकपुर ,जनपद-आजमगढ़

थाना कन्धरापुर

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये अभियान वांछित/गैंगेस्टर , चोर , लुटेरा, नकबजन के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के

कुशलत निर्देशन मे आज दिनांक 29.10.2020 को कन्धरापुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व रोकथाम जुर्म जरायम के दौरान मुखबिर की सूचना मिली की मु0अ0सं0 95/2020 धारा 363/366/368 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण मन्दुरी तिराहे से कही जाने के फिराक में है इस सूचना पर समय करीब 08.30 बजे दोनो अभियुक्तो को गिरफ्तार कर लिया गया । नाम पता पूछने पर उन्होने अपना नाम क्रमशः 1. लालमन उर्फ कल्लू पुत्र रामसकल निषाद साकिन ग्राम भरौली थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष, 2. राकेश कुमार पुत्र रामलखन साकिन हसनपुर ढकुलिया, पोस्ट अमोला बुजुर्ग थाना आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 27 वर्ष बताये । अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 83/2020 धारा 363/366/368 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. लालमन उर्फ कल्लू पुत्र रामसकल निषाद साकिन ग्राम भरौली थाना कप्तानगंज, आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष
2. राकेश कुमार पुत्र रामलखन साकिन हसनपुर ढकुलिया, पोस्ट अमोला बुजुर्ग थाना आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 27 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 कैलाश सिंह यादव- थाना कन्धरापुर, आजमगढ़
2. का0 मो0अली- थाना कन्धरापुर, आजमगढ़
3. का0 किशन मिश्रा- थाना कन्धरापुर, आजमगढ़